<u>कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजियाबाद (उ0 प्र0)</u>

<u>विज्ञप्ति</u>

उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) संख्या 05/2020/281/सात–न्याय–2–2020–153जी/2019 लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी 2020 द्वारा कुल चार परामर्शदाताओं को आबद्ध किया गया था तथा उनमें से वर्तमान में कुल तीन परामर्शदाता कार्यरत हैं, जिनका कार्याकाल दिनांक 14.10.2026 को समाप्त होने जा रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1928/S.F.C.M. Cell/Lucknow, Dated 28.02.2026 के अनुपालन में परिवार न्यायालय, गाजियाबाद में दिनांक 15.10.2026 को रिक्त होने जा रहे कुल तीन पदों पर परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किये जाने हैं, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 102/सात –न्याय–2–2015–728/86 न्याय अनुभाग–2 अधीनस्थ न्यायालय, लखनऊ दिनांकित 18.06.2015 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं--

1. आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में से स्नातक की उपाधि धारित करता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो, जो आवेदक सामाजिक कार्य में परास्नातक की उपाधि धारित करता हो और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी जायेगी।
2. आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।
3. परामर्शदाता का प्रारम्भिक कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
4. **आवेदक ने यदि पूर्व में परामर्शदाता के पद पर कार्य किया है तो वह अपने आवेदन पत्र में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करेगा कि उनके द्वारा कितने वर्ष तक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया है।**
5. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगें।
6. नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत रू. 1,000/– प्रति कार्य दिवस अथवा रू 24,000/– प्रतिमाह जो भी कम हो, का मानदेय देय होगा।
7. इस कार्यालय को आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे, जिस पर राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 102/सात –न्याय–2–2015– 728/86 न्याय अनुभाग–2 अधीनस्थ न्यायालय, लखनऊ दिनांकित 18.06.2015 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. **आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 10758/2022/S.F.C.M. Cell/Allahabad, Dated 29.08.2022 के अनुपालन में इस बात का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाये कि वो परिवार न्यायालय में किसी भी वाद में वादकारी नहीं हैं।**
9. **आवेदक अपना आवेदन पत्र मय संलग्नक दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।**

सुविधा एवं एकरूपता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न किया जा रहा है। जो व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हो वे अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति व एक सेट छायाप्रति सहित दिनांक **30.06.2026** तक कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराये जा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

15/06/26

(मृदुल कुमार मिश्रा)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः—

1. प्रभारी अधिकारी (नजारत), जनपद न्यायालय, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित की वह उक्त आदेश की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

2. जिला सूचना अधिकारी, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित हो कि वे उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय, गाजियाबाद व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

15/06/26

(मृदुल कुमार मिश्रा)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।

परिवार न्यायालय, गाजियाबाद में परामर्शदाता पद के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं।

1. पद का नाम ....
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)..
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ....
3. लिंग ....
4. पिता / पति का नाम (हिन्दी में)..
(अंग्रेजी में)..
5. स्थायी आवासीय पता (पिन कोड सहित) ....
....
6. पत्राचार हेतु पता (पिन कोड सहित) ....
....
7. आधार कार्ड संख्या ....
8. टेलीफोन / मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई डी ....
9. जनपद व राज्य का नाम (आवेदक जिसका मूल निवासी है) ....
10. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) ....
11. दिनांक 01.06.2026 को अभ्यर्थी की आयु .... वर्ष .... माह .... दिन

(जन्मतिथि के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न करें।)

12. शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण परीक्षाओं का उल्लेख करें और प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

<u>शैक्षिक योग्यता का विवरण–</u>

क्रम सं0	परीक्षा / डिग्री	चयनित विषय	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक / कुल अंक

(सुसंगत अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे। स्नातक एवं उससे उच्चतर उपाधि में चयनित विषय का उल्लेख करना अनिवार्य है।)

13. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित है अथवा उसे किसी आपराधिक वाद में दण्डित किया गया है। (यदि है तो उसका उल्लेख करें।)..
....

नोट– यह आवेदन पत्र में अंकित किया जाना आवश्यक है।

14. समाज सेवा / पारिवारिक काउंसलिंग का अनुभव, यदि कोई है तो ....
15. आवेदक द्वारा परामर्शदाता के रूप में किये गये कार्य का पूर्ण विवरण ....

<u>घोषणा पत्र</u>

1. मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने विज्ञप्ति में दी गयी पात्रता की शर्तें पढी हैं व सभी शर्ते मुझे मान्य है। उपर्युक्त विवरण / सूचनाएं सत्य हैं और मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। यदि कोई विवरण सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरांत ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है तो मेरी सेवायें भी समाप्त कर दी जायेंगी।
2. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैं परिवार न्यायालय में किसी भी वाद में पक्षकार नहीं हूँ।

दिनांक–
स्थानः
संलग्नकों की संख्या–

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
नामः
पताः
मोबाइल नम्बरः
आधार नम्बरः